उत्तरांचल शासन
समाज(सैनिक) कल्याण अनुभाग
संख्याः 330–सैक–02–36(सैनिक कल्याण)/2002

देहरादूनः दिनांकः 23 अगस्त 2002

अधिसूचना

श्री राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल के प्रथम "विक्टोरिया क्रास" से सम्मानित स्व. राइफलमैन गबर सिंह नेगी की स्मृति में राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार योजना नियमावली- 2002 को एतद्द्वारा प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2 उक्त नियमावली तत्काल प्रभावी होगी।

संलग्नकः यथोपरि

(आर. के. शर्मा)
सचिव

संख्याः 330–सैक–02–36(सैनिक कल्याण)/2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1 उप निदेशक राजकीय मुद्रणालय रूड़की(हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि नियमावली की 500 प्रतियां मुद्रित कर समाज(सैनिक) कल्याण अनुभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें।
2 निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल उत्तरांचल।
3 निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री उत्तरांचल।
4 निजी सचिव मा. सैनिक कल्याण मंत्री उत्तरांचल।
5 स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन।
6 समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन।
7 निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तरांचल
8 समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
9 गार्ड फाईल।

आज्ञा

(गरिमा सेमवाल)
अनु सचिव

प्रथम विक्टोरिया क्रास के सम्मानित स्व. राईफल मैन गबर सिंह की स्मृति में राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार योजना नियमावली:–2002

1. नियमावली का संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ– 1. यह नियमावली स्व. राइफल मैन गबर सिंह की स्मृति में राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार (योजना) नियमावली कहलायेगी।
   2. यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. क्षेत्र– यह पुरस्कार 18 वर्ष की आयु सीमा तक के ऐसे बालक/बालिका को दिया जायेगा जिन्होंने अपने धैर्य, चातुर्य व साहस के बल पर अभूतपूर्व वीरता/साहस का प्रदर्शन कर अनुकरणीय कार्य किया हो।

3. पुरस्कार– 1. रुपये 10 हजार नकद
   2. एक शील्ड या बैज
   3. प्रमाण पत्र/मान पत्र

4. चयन प्रक्रिया– 1. पुरस्कार के लिए चयन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के सहयोग से एक समिति गठित की जायेगी उक्त समिति द्वारा प्रदत्त संस्तुति के अनुसार सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय द्वारा शासन को प्रेषित आवेदन पत्रों पर राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा विचार किया जायेगा
   2. सम्बन्धित जिलाधिकारी, जिला स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरान्त अधिकतम 3 नामों की संस्तुति करेंगे। राज्य स्तरीय समिति प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचारोपरान्त 13 बालक/बालिकाओं का चयन करेंगे।

राज्य स्तरीय चयन समिति में निम्न पदाधिकारी होंगे–

1	माननीय सैनिक कल्याण मंत्री, उत्तरांचल शासन	–	अध्यक्ष
2.	सचिव, सैनिक कल्याण, उत्तरांचल शासन	–	सचिव
3	निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तरांचल	–	सदस्य
4	अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक संगठन	–	सदस्य
5	उत्तरांचल देहरादून सब एरिया, देहरादून द्वारा नामित सैन्य सेवा का अधिकारी	–	सदस्य
6.	गढ़वाल रेजिमेन्टल सेन्टर लैन्सडाउन द्वारा नामित एक सैन्य अधिकारी	–	सदस्य

क्रमशः

5. पुरस्कार हेतु चयन का मापदण्ड–

1. शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता।
2. दृढ़ उत्साह
3. स्वावलम्बन की भावना।
4. अन्य कोई विशेष योग्यता
5. मृत्यु की दशा में पुरस्कार मरणोपरान्त बालक/बालिकाओं के आश्रित अभिभावक/माता–पिता जैसी स्थिति हो दिया जायेगा।

6. पुरस्कार वितरण–

1. राज्य स्तरीय चयन समिति के द्वारा पुरस्कार हेतु चयनित बालक/बालिकाओं को पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष विजय दिवस दिनांक 16 दिसम्बर के अवसर पर सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा पुरस्कार का वितरण 26 जनवरी गणतन्त्र दिवस के अवसर पर महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के कर कमलों द्वारा किया जायेगा।

2. पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर पुरस्कार प्राप्त कर्ताओं को आमंत्रित किया जायेगा तथा चयनित बालक/बालिकाओं के साथ एक व्यक्ति के आने जाने का व्यय राज्य सरकार वहन करेगी।

7. प्रक्रिया–

पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण कर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी की संस्तुति पर जिलाधिकारी से अनुमोदनोपरान्त निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय को दिनांक 15 अगस्त तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करा दिया जायेगा। तदोपरान्त निदेशक सैनिक कल्याण प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच कर अपनी संस्तुति सहित परिपक्व प्रस्ताव प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक प्रत्येक दशा में राज्य स्तरीय चयन समिति के विचारार्थ शासन को प्रस्तुत करेंगे। पुरस्कार के सम्बन्ध में अंतिम रूप से निर्णय राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा लिया जायेगा।

8. नियमावली में संशोधन/परिवर्तन–

उक्त नियमावली में आवश्यकतानुसार श्री राज्यपाल महोदय समय समय पर आवश्यक संशोधन/परिवर्तन कर सकते हैं।

(आर0 के0 वर्मा)
सचिव
समाज (सैनिक) कल्याण

प्रथम विक्टोरिया क्रास से सम्मानित राईफल मैन स्व गब्बर सिंह की स्मृति में राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करने हेतु

आवेदन–पत्र

यह पुरस्कार उत्तरांचल राज्य के 18 वर्ष तक की आयु के ऐसे बालक/बालिकाओं को देय है जिन्होंने अपने धैर्य चातुर्य एवं साहस के बल पर अभूतपूर्व वीरता/साहस का परिचय दिया है।

1. नाम :–

2. पिता/अभिभावक का नाम :–

3. जन्मतिथि :–

4. आयु – वर्ष माह दिन लिंग –

5. [illegible] –
[illegible] –
[illegible]
[illegible] –
[illegible] –
[illegible]
पिन कोड राज्य –

6. वीरता /साहस का संक्षिप्त परिचय /विवरण दिनांक सहित :–

7. ग्राम प्रधान/सरपंच/विद्यालय के प्रधानाचार्य की संस्तुति हस्ताक्षर मुहर सहित

8. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की संस्तुति हस्ताक्षर मुहर सहित व दिनांक

9. सम्बन्धित जिलाधिकारी की संस्तुति एवं हस्ताक्षर मुहर व दिनांक सहित

10. पुरस्कार हेतु योग्य/अयोग्य

तिथि

आवेदक के हस्ताक्षर